राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :—रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
226 / 2017	12.09.2017	02.02.2021

उनवान

बलवान सिंह बनाम अभय सिंह बगैरा

दावा बाबत इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0 ई0 दवामी

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0

उपस्थितिः श्री सत्यवीर चौहान वादीगण / अप्रार्थीगण की ओर से
श्री अशोक चौधरी, श्री सुन्दर शर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण की ओर से

—:: निर्णय::—

दिनांक :—02.02.2021

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये।

वकील प्रतिवादी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि —वादीगण ने यह वाद बिना कॉज ऑफ एक्शन के न्यायालय का समय जाया करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो धारा 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आने के कारण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा पूर्व में एक वाद बअनुवान रघुवीर बनाम ताराचन्द मु0 नं0 85 / 2008 अदालत श्रीमान के समक्ष उक्त वाद में वर्णीत आराजी बाबत पेश किया था, जो वाद अदालत श्रीमान द्वार आदेश 9 नियम 5 जा0 दी0 के तहत दिनांक 10.05.2017 को खारीज फरमा दिया गया था तथा वादी ने उक्त वाद को नम्बर पर नही लेकर दुसरा उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया, जबकी वादी को उक्त वाद को नम्बर पर लेने हेतु अपील करनी चाहीए थी, लेकिन वादी ने अपील नही कर, नया वाद एक ही पक्षकारान व एक ही जायदाद बाबत होने से चलने योग्य नही होकर काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे। वादी को दावा हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत सन् 2008 में पैदा हो चुकी थी, लेकिन वादी ने उक्त वाद में कथित दिनांक 02.09.2017 को बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दर्ज है। इसलिए वादी का वाद मियाद बाहर होकर चलने यो[illegible] होकर काबिल खारीज है। खारीज फरमाया जावे।

वादीगण / अप्रार्थीगण ने जबाब पेश नही करते हुए सीधे ही [illegible] की बहस के दौरान उनके कथन रहे की वाद संख्या 85 / 2008 बअनुवान [illegible] पक्षकार बनाए हुए है व उक्त वाद में बलवान को वादी व शेंष तरफ [illegible] दोना वाद समान है। पूर्व ताराचन्द हमारे पिताजी अब हमे पक्षकार बनाया है। दोनो वादो में [illegible] गया अनुतोष बराबर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

विधि के विरूद्ध है। पूर्व में वाद आदेश 9 नियम 5 जा0 दी0 में खारीज को चुका है। अप्रार्थी/वादी पूर्व में आपने वाद में कॉज ऑफ एक्शन 05.01.2008 व वर्तमान में कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 02.09. 2017 को बताते है। पूर्व के वाद में तामिल नही करवाए जाने बाबत आदेश 9 नियम 5 जा0 दी0 में खारीज को चुका है।

प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की सीधी बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के बिन्दूओं को दोहराते हुये प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी/वादीगणने जबाब प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के बिन्दूओं को दोहराते हुये प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया गया।

न्यायालय का निष्कर्ष है कि वाद संख्या 85/2008 बअनुवान रधुवीर बनाम ताराचन्द में पक्षकारान् की तामिल नही करवाए जाने के कारण इस वाद को दिनांक 10.05.2017 में आदेश 9 नियम 5 जा0 दी0 में खारीज कर दिया गया था। वाद संख्या 85/2008 व उक्त वाद में वही दोनो पक्षकारान है, अनुतोष भी दोनो में समान चाहा गया है। पूर्व में खारीज बाद में अपील नही करके एक नया वाद पेश कर दिया, जो विधि के विपरित है। इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा लाने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही हैं लेकिन वादीगण ने यह दावा बिना अधिकार व बिना कॉज ऑफ एक्शन के मनमाने तथ्यों के आधार पर पेश किये है इसलिय वादीगण का दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के मुताबिक चलने योग्य नही है।

न्यायालय प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य पाता है।

—:आदेशः—

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा अलवर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested